

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म.प्र.)

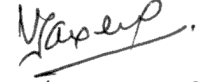
--: निविदा आमंत्रण सूचना ::-

सर्व साधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है, कि जिला न्यायालय परिसर बुरहानपुर में वाहन पार्किंग का संचालन किया जाना है।

अतः जो संस्था या व्यक्ति इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तों के अधीन जिला न्यायालय परिसर, बुरहानपुर में वाहन पार्किंग का संचालन करने के इच्छुक है, वे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर के कार्यालय में कार्य-दिवस के दौरान निविदा के संबंध में आवश्यक शर्तों की जानकारी प्राप्त कर शर्तों के अनुसार सीलबंद निविदा अंतिम तिथि दिनांक 17-11-2026 को दोपहर 03:00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि उपरांत प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

निविदा दिनांक 19-11-2026 को निविदाकर्ता/उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष सायं 05:00 बजे खोली जायेगी।

इस हेतु विस्तृत विवरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय बुरहानपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही विस्तृत निविदा दस्तावेज को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट www.mphc.gov.in/tenders एवं districts.ecourts.gov.in/india/mp/Burhanpur/tender पर देखा जा सकता है।



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुरहानपुर (म.प्र.)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म.प्र.)

विषय :- जिला न्यायालय परिसर, बुरहानपुर में वाहन पार्किंग संचालन हेतु निविदा ।

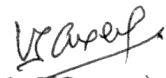
जिला न्यायालय परिसर, बुरहानपुर में वाहन पार्किंग संचालन हेतु प्रतिष्ठित, पंजीकृत, प्रामाणिक, अनुभवी और पात्र फर्म या व्यक्ति से सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है, जिन्होंने समान प्रकृति का कार्य किया है या वाहन पार्किंग का संचालन कर रहे हैं। अर्द्ध-शासकीय संगठन या सार्वजनिक/निजी संस्थान/संगठन और इस निविदा दस्तावेज में अन्य सभी नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले निविदाकर्ता जिला न्यायालय बुरहानपुर में नियत समयावधि में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

निर्धारित निविदा प्रारूप/फॉर्म, जिसमें नियम और शर्तें उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in एवं districts.ecourts.gov.in/india/mp/Burhanpur/tender पर उपलब्ध है। आवेदक/निविदाकर्ता उक्त वेबसाइट से निविदा प्रपत्र/आवेदन-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट, कार्य अनुभव की प्रति और पैन नंबर "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर" के पक्ष में निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है :-

विवरण	राशि
वार्षिक लाईसेंस शुल्क (न्यूनतम)	70,000
अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट	50,000
निविदा प्रपत्र का मूल्य	1,000

कार्यवाही का विवरण	तिथि एवं समय
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 17-11-2026 को दोपहर 03:00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि एवं समय	दिनांक 19-11-2026 को शाम 05:00 बजे

नोट : अर्नेस्ट मनी एवं निविदा प्रपत्र के मूल्य का भुगतान "प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर" के पक्ष में आहरित पृथक-पृथक **FIXED DEPOSIT RECEIPT** (FDR) एवं ओ.टी.सी. चालान के माध्यम से करना होगा। निविदा नियम और शर्तों पर हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इनके बिना निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।


 (श्रीमती विधि सक्सेना)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 बुरहानपुर (म.प्र.)

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म०प्र०)
वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु निविदा फॉर्म

निविदाकर्ता/संस्था का नाम	
पिता का नाम (जहां निविदाकर्ता कोई संस्था नहीं है)	
निविदाकर्ता/संस्था का पता	
मोबाइल फोन नंबर	
आधार नंबर	
पेन नंबर	
अनुभव का विवरण	
संस्था का पंजीयन क्रमांक (यदि कोई हो, तो)	
संस्था का जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र	

- :: निविदा के नियम एवं शर्तें :: -

1. अनुबंध की अवधि अनुबंध निष्पादित होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी।
2. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ निविदा फार्म का मूल्य ₹1000/- चालान द्वारा शासकीय मद "0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 800" में जमा कर मूल रसीद प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा को विचार में नहीं लिया जाएगा। आवेदन पत्र की राशि ₹ 1,000/- किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं है।
3. निविदाकर्ता को निविदा दो सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा, जिनमें से एक लिफाफे पर ₹50,000/- रुपये के "अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट" का उल्लेख किया जाएगा, जिसमें 50,000/- का **FIXED DEPOSIT RECEIPT (FDR)** तथा निविदा प्रपत्र के मूल्य ₹ 1000/- का ओ.टी.सी. चालान का उल्लेख किया जाएगा तथा दूसरे लिफाफे पर "निविदा प्रपत्र" का उल्लेख करना होगा, जिसमें निविदा प्रपत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेज रखे जाएंगे। **निविदा प्रपत्र, नियम और शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करना होगा।**
4. मात्र उन्हीं निविदाकर्ताओं की निविदा मान्य की जाएगी, जो अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट बुरहानपुर में स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में **FIXED DEPOSIT RECEIPT (FDR)** के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
5. सफल निविदाकर्ता को अर्नेस्ट मनी/सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि अनुबंध समाप्ति के पश्चात् वापस कर दी जावेगी तथा शेष सभी असफल निविदाकर्ताओं की राशि निविदा की चयन प्रक्रिया के पश्चात् मूलतः निविदाकर्ता को वापस की जाएगी।
6. जिस निविदाकर्ता के द्वारा निविदा में वार्षिक शुल्क अन्य निविदाकर्ताओं से अधिक दर्शाया जाएगा और जिसकी समस्त शर्तें स्वीकार होंगी उसकी निविदा पर सर्वप्रथम विचार किया जाएगा।
7. जिस निविदाकर्ता की निविदा अंतिम रूप से मान्य होगी, उस सफल निविदाकर्ता को निविदा खुलने के 07 दिवस के भीतर या उसके पूर्व निविदा की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करना होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से 06 माह की अवधि समाप्त होने की दिनांक से 15 दिवस पूर्व जमा करना होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार द्वितीय पक्ष (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर) को होगा।
8. निविदाकर्ता को वाहन पार्किंग संचालन के लिये किसी अन्य व्यक्ति को उप-किराये पर देने, सौंपने या अधिकृत करने का कोई अधिकार नहीं होगा और ऐसा करने पर परफार्मेस गारण्टी जप्त कर अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।
9. निविदाकर्ता वाहन पार्किंग के उचित रख-रखाव एवं पार्किंग स्थल पर स्वच्छता बनाये रखने के लिए दायित्वाधीन होगा और रख-रखाव एवं स्वच्छता बनाये रखने में व्यतिक्रम होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले समुचित शास्ति दण्ड के लिए भी दायित्वाधीन होगा।
10. वाहन पार्किंग का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक किया जावेगा। साथ ही समय-समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ही किया जाएगा।
11. साईकिल/स्कूटर/दो पहिया वाहन/चार पहिया वाहन का पार्किंग शुल्क निम्नानुसार होगा :-

वाहन	शुल्क
साईकिल	05 रुपये प्रतिदिन
दोपहिया वाहन	10 रुपये प्रतिदिन
तीन/चार पहिया वाहन	20 रुपये प्रतिदिन

12. निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग शुल्क सूची आम जनता को पढ़ने हेतु लगाई जायेगी एवं निर्धारित दर पर ही आम जनता से वाहन पार्किंग शुल्क लिया जाएगा, अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आमजन को वाहन पार्किंग किये जाने के संबंध में प्रिंटेड रसीद प्रदान करना होगी, जिस पर वाहन का शुल्क एवं वाहन क्रमांक अंकित करना आवश्यक होगा।

13. निविदाकर्ता को पार्किंग संचालन के संबंध में शासकीय/अर्द्ध-शासकीय संगठन या सार्वजनिक/निजी संस्थान/संगठन, अस्पताल आदि में वाहन पार्किंग चलाने का अनुभव हो तो, अनुभव के संबंध में संबंधित प्रमाण निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। अनुभवी निविदाकर्ता को प्राथमिकता दी जा सकेगी।

14. निविदाकर्ता को वाहन पार्किंग के संचालन का पंजीयन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नियमानुसार करना आवश्यक होगा।

15. निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकर्ता को अपने स्थापना के पंजीयन का प्रमाण-पत्र, पेन कार्ड, जी.एस.टी. पंजीयन का प्रमाण-पत्र आदि संलग्न करना अनिवार्य होगा।

16. निविदाकर्ता को वाहन पार्किंग संचालन हेतु आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का निर्माण/संरचना नहीं करेंगे। वाहन पार्किंग संचालन के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे, जिससे शासकीय सम्पत्ति व न्यायालय की गरिमा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित हो अथवा निविदा की किसी शर्त का उल्लंघन हो। यदि निविदाकर्ता या उसके कर्मचारियों से परिसर में किसी प्रकार की क्षति/हानि होती है, तो ऐसी क्षति/हानि प्रतिपूर्ति निविदाकर्ता को करना होगी।

17. निविदाकर्ता उक्त परिसर में कोई परिवर्धन या परिवर्तन या संरचनात्मक मरम्मत नहीं करेगा। यदि वाहन पार्किंग संचालन व्यवसाय के लिए अस्थायी निर्माण अत्यावश्यक हो, तो ऐसे अस्थायी निर्माण की आवश्यकता के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर का समाधान एवं उनके अनुमोदन पर ही ऐसा कोई अस्थायी निर्माण किया जा सकेगा और ऐसे अस्थायी निर्माण का अनुमोदन भी उसी दशा में किया जाएगा, जब ऐसे अस्थायी निर्माण से शासकीय सम्पत्ति में क्षति/हानि न हो।

18. निविदाकर्ता वाहन पार्किंग हेतु आवंटित स्थान पर वाहन को सुव्यवस्थित रूप से रखवाएगा, जिससे पक्षकारों एवं वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान न हो। आवंटित स्थान को प्रदूषण मुक्त रखने का दायित्व निविदाकर्ता का होगा तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या ऑडियो सिस्टम का उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

19. निविदाकर्ता के सभी नियुक्त कर्मचारी स्वच्छ एवं उचित वर्दी पहनेंगे तथा आई.डी. कार्ड निविदाकर्ता द्वारा प्रदान किया जाएगा।

20. वाहन पार्किंग संचालन में कामगारों के आचरण/चरित्र/पूर्ववृत्त और उचित आचरण एवं व्यवहार की पूरी जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारियों को ही नियोजित करना होगा। निविदाकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा, कि उसके द्वारा नियोजित कर्मचारी किसी प्रकार का नशा न करते

हों। निविदाकर्ता को अपने सभी कर्मचारियों (स्थायी, अस्थायी, आकस्मिक) का आवश्यक विवरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को प्रदान करना होगा।

21. वाहन के चोरी होने या वाहनों में कोई भी क्षति हानि होने की दशा में निविदाकर्ता उत्तरदायी होगा।

22. निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत निविदा अवधि के दौरान बीच में ही कार्य बंद करने या छोड़ने की दशा में सुरक्षा निधि की संपूर्ण राशि जप्त कर ली जाएगी।

23. निविदा की अनुबंध अवधि की समाप्ति या समय पूर्व समाप्ति पर, निविदाकर्ता वाहन पार्किंग के खाली कब्जे को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को शांतिपूर्वक सौंप देगा। निविदाकर्ता की अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात् परिसर में उसके कब्जे को एक अतिचार के रूप में माना जाएगा और वह आगे नुकसान का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

24. निविदाकर्ता एक शिकायत पुस्तिका रखेंगे, जो उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो कोई भी शिकायत दर्ज करने की इच्छा रखता है, उपलब्ध करायी जायेगी और जिसे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किये जाने पर निविदाकर्ता को पेश करना होगी।

25. वाहन पार्किंग संचालन की अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के बाद भी नई अनुज्ञा प्रदान किये जाने की कार्यवाही तक अधिकतम 03 माह तक उसी प्रीमियम राशि पर वर्तमान वाहन पार्किंग संचालक को वाहन पार्किंग का संचालन करना होगा।

26. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को यह अधिकार होगा कि वाहन पार्किंग संचालन हेतु दिया गया लाईसेंस किसी भी समय बिना कारण बताये, बिना पूर्व सूचना के निरस्त कर दे और उस दशा में ऐसे आवंटितों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट अवधि में वाहन पार्किंग का संचालन अविलंब बंद करना होगा, अन्यथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वाहन पार्किंग संचालन बंद करवाकर आवंटित स्थान रिक्त करा ले। इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का निर्णय अंतिम और आबद्धकारी होगा।

27. न्यायालयीन कर्मचारियों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा परिचय-पत्र प्रदान किया गया है तथा उनके द्वारा परिचय-पत्र दिखाये जाने पर उनसे वाहन पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार अधिवक्तागण द्वारा भी अपना परिचय-पत्र दिखाये जाने पर उनसे भी वाहन पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा।

28. न्यायालयीन कर्मचारीवृन्द अपने वाहन कर्मचारियों हेतु निर्मित वाहन पार्किंग में रखेंगे। अधिवक्तागण अपने वाहन अधिवक्ताओं हेतु आरक्षित स्थल पर रखेंगे।

29. निविदाकर्ता न्यायालय परिसर में निर्धारित स्थान पर ही वाहन पार्किंग का संचालन करेगा। मात्र न्यायालयीन कर्मचारियों के लिये पार्किंग स्टैंड का संचालन केवल न्यायालयीन कर्मचारियों हेतु बनाये गये चिन्हित पार्किंग शेड में ही किया जायेगा।

30. निविदाकर्ता द्वारा वाहन पार्किंग में आने व जाने वाले वाहनों का रिकार्ड रखने हेतु पृथक से रजिस्टर संधारित किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत न्यायिक अधिकारी/प्रमुख द्वारा उक्त रजिस्टर का निरीक्षण किये जाने पर निविदाकर्ता द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

31. नगर पालिक निगम बुरहानपुर द्वारा अधिरोपित कर अथवा अन्य ऐसे किन्हीं करों का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा किया जायेगा, जो वाहन पार्किंग संचालन हेतु संबंधित सक्षम प्राधिकारी को दिया जाना अनिवार्य है।

32. निविदाकर्ता पक्षकारों से किसी तरह का वाद-विवाद नहीं करेगा। निविदाकर्ता अथवा उसके नियोजित कर्मचारियों द्वारा परिसर में आने वाले न्यायाधीशगण, कर्मचारीगण, अभिभाषकगण, शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों, पक्षकारों या अन्य किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार अथवा हिंसा करते पाए जाने पर एवं साथ ही महिलाओं, विकलांगों व बुजुर्गों के प्रति अनादर व असहयोग करते पाए जाने पर अर्नेस्ट मनी एवं परफार्मेंस गारण्टी की राशि जप्त कर ली जायेगी।

33. सफल निविदाकर्ता को अनुबंध-पत्र निष्पादित करना होगा तथा अनुबंध-पत्र निष्पादन का समस्त व्यय सफल निविदाकर्ता द्वारा ही वहन किया जाएगा।

34. सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा स्वीकृति आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादित न करने की दशा में अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जाएगी तथा द्वितीय उच्चतम टेंडर राशि वाले निविदाकर्ता को उचित पाया जाने पर अनुबंध हेतु बुलाया जावेगा।

35. सायकल स्टैंड ठेके की न्यूनतम राशि 70,000 रुपये प्रतिवर्ष होगी। उक्त राशि से कम राशि की निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

36. न्यायालय शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन/सार्वजनिक अवकाश अवधि में बंद रहने की दशा में अनुबंध राशि में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी। निविदाकर्ता निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व अवकाशों की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट mphc.gov.in से प्राप्त कर सकता है।

37. निविदाकर्ता के प्रतिनिधि के उपस्थित होने की स्थिति में निविदा खोलने की कार्यवाही में भाग लेने के लिये अपने अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकार-पत्र जारी करना होगा। अधिकार-पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।

38. वाहन पार्किंग संचालन की अनुज्ञा एक वर्ष के लिये दी जाएगी और प्राप्त निविदाओं में से निविदाकर्ता की साख, कार्यानुभव व आचरण पर विचार करते हुए निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जाएगी, इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होना, जिसकी सूचना प्रधान जिला न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी। समिति का निर्णय निविदाकर्ता को सूचित करने की बाध्यता नहीं होगी।

विवाद का निपटारा :-

कोई विवाद होने पर ऐसा प्रश्न / विवाद सर्वप्रथम प्रशासनिक अधिकारी के संज्ञान में लाया जायेगा, जो आवश्यकता प्रतीत होने पर निराकरण हेतु जिला रजिस्ट्रार/प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग अथवा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संदर्भित करेंगे।

मध्यस्थता खण्ड:-

अनुबंध में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अतिरिक्त, इसमें पहले उल्लिखित निर्देशों से संबंधित सभी प्रश्न और विवाद या किसी अन्य प्रश्न, दावे, अधिकार, मामले या चीज से संबंधित जो अनुबंध, आकलन, निर्देश, आदेश या इन शर्तों से उत्पन्न या संबंधित हो या अन्यथा कार्य या उसके निष्पादन या निष्पादन में विफलता से संबंधित हो, चाहे वह कार्य की प्रगति के दौरान उत्पन्न हो या उसके पूरा होने या छोड़ दिए जाने के बाद उत्पन्न हो, उसे एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा जिसे प्रधान जिला न्यायाधीश, बुरहानपुर के प्राधिकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। यदि नियुक्त मध्यस्थ जिला न्यायालय का कर्मचारी है और उसका उस मामले से कोई लेना-देना नहीं है जिससे अनुबंध संबंधित है और अपने कर्तव्यों के दौरान उसने विवाद या मतभेद के सभी या किसी भी मामले पर अपने विचार

व्यक्त किए हैं, तो कोई आपत्ति नहीं होगी। जिस मध्यस्थ को मामला मूल रूप से भेजा गया है, यदि उसका स्थानांतरण हो जाता है या वह अपना पद छोड़ देता है या किसी कारण से कार्य करने के लिए अक्षम हो जाता है, तो मध्यस्थ के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे पद पर या कार्य करने में असमर्थता के समय, अनुबंध की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा। ऐसा व्यक्ति उस चरण से संदर्भ के साथ आगे बढ़ने का हकदार होगा जिस पर उसके पूर्ववर्ती ने इसे छोड़ा था। इस अनुबंध की यह भी शर्त है कि ऊपर वर्णित ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा और यदि किसी कारण से ऐसा करना संभव नहीं है, तो मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा ही नहीं जाएगा।

(श्रीमती विधि सक्सेना)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुरहानपुर (म.प्र.)